न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /06अपील 212-दो/06

1- मंगलीबाई पुत्री रामलाल पत्नी भगवतीप्रसाद जाटव, निवासी ग्राम गिजुरी हाल गोरमी तहसील मे0 जिला भिण्ड

2- भूरीबाई पुत्री रामलाल पत्नी बच्चू नि0ग्राम पीपरी तहसील अटेर जिला भिण्ड

3- जैन श्री पुत्री छविराम पत्नी अशोक, जाटव निवासीग्राम गोल मार्केट, लक्ष्मण पंडितजी की गली पगरना मेहगांव जिलाभिण्ड

4- मुकेश पुत्र छविराम, निवासी ग्राम गिजुरी ‹सिमार›तहसील मेहगाव जिला भिण्ड -- अपीलान्ट्स

विरुद्ध

1- कप्तान सिंह पुत्र हरविलास सिंह,

2- दाताराम बघेल पुत्र नामालूम निवासीगण-ग्राम गिजुरी‹सिमार› मेहगांव, जिलाभिण्ड -- रेस्पोडेन्ट्स

7 FEB 2006

राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर अवर सचिव

श्री ... द्वारा आज दि० 7-2-06

अपीलान्ट की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत विरुद्ध न्यायालय आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 53/02-03/निगरानी मे आदेश दिनांक 17.5.05 को आवेदन पत्र धारा35‹3› निरस्त किये जाने से दुखित होकर।

श्रीमान जी,

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न तथ्य एवं आधारो पर प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य :-

===========

‹1› यह कि, प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे एक पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 47/98-99 निगरानी विचाराधीन थी जो आवेदकगण की अनुपस्थिति मे दिनांक 26.6.2002 को अदम पैरवी मे समाप्त हो चुका है। जिसे पुनः नम्बर पर लेने के लिये आवेदन-पत्र धारा 35‹2› मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 दिनांक 18.9.2002 को प्रस्तुत किया गया। जो 84 दिन पश्चात पेश किया गया।

(2) (60)

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 212–दो/2006 अपील जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
15-2-16	आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 35/2002–03 विविध में पारित आदेश दिनांक 17–5–2005 के विरूद्ध यह अपील म0प्र0भू राजस्व संहिता , 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 47/98–99 निगरानी आवेदकगण के अभिभाषक के पेशी 26–6–2002 पर अनुपस्थित रहने से अदम पैरबी में निरस्त किया गया। आवेदकगण ने संहिता की धारा 35(3) का आवेदन देकर प्रकरण पुर्नजीवित किये जाने की मांग की जिसे समाधानकारक न पाकर आयुक्त व्दारा प्रकरण क्रमांक 35/2002–03 विविध में पारित आदेश दिनांक 17–5–2005 से निरस्त कर दिया है। पुर्नस्थापन आवेदन अमान्य करने का आधार यह है कि आवेदकगण व्दारा पुर्नस्थापन आवेदन में नियुक्त अभिभाषक की मॉ के बीमार	

अपी - 212 . ए/06

3

होने में व्यस्त हो जाना एंव वाद में स्वयं अभिभाषक का बीमार होना बताया है। आयुक्त व्दारा विवेचित किया है कि धारा 35(3) के आवेदन में आवेदकगण ने आदेश दिनांक 26-6-2002 की जानकारी पैरा-2 में दिनांक 17-9-02 को होना, अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में 17-8-02 को होना तथा दूसरे आवेदन में जानकारी 17-9-2004 को होना अंकित किया है जो अतिविलम्ब से होकर सदभावना पर आधारित नहीं है। जब आवेदकगण पुर्नस्थापन आवेदन 18-9-2002 को प्रस्तुत कर रहे हैं तब आदेश की जानकारी 17-9-2004 को होने तथ्य टंकण त्रृटि है इसी प्रकार एक आवेदन में जानकारी 17-9-02 होना एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में 17-8-02 को होना भी टंकण त्रृटि है क्योंकि अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के साथ दिया गया शपथ पत्र दिनांक 18-9-2002 का है स्पष्ट है कि जानकारी का दिनांक 17-9-2002 है परन्तु आयुक्त व्दारा सामान्य स्तर की कमियों के आधार पर आवेदकगण का पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त करने में त्रृटि की है। आदेश दिनांक 26-6-02 के पुर्नस्थापन हेतु आवेदन 18-9-02 को प्रस्तुत हुआ है अर्थात 82 दिन वाद प्रस्तुत हुआ है एंव निर्धारित समय-सीमा 30 दिवस कम करने पर 52 दिवस का विलम्ब है जो टंकणत्रृटि पर आधारित होने से आवेदकगण को न्यायदान से बंचित करना उचित नहीं माना जा सकता।

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 212—दो / 2006 अपील जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 35/2002-03 विविध में पारित आदेश दिनांक 17-5-2005 निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण कमांक 47/98-99 निगरानी पुर्नजीवित कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें। सदस्य	